न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या :– 15 / 2024
जीसीएमएस नम्बर :–2024 / 122

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

1. अचलाराम पुत्र लादुराम राम उम्र 40 वर्ष (एफबीओ / मालिक) निवासी – निवासी – पुरखपुरा, बम्बोर दरजियान, जिला जोधपुर फर्म मैसर्स – जगदम्बा किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर चाडी चौराहा, औसियां जिला जोधपुर।
2. उदाराम गोदारा पुत्र श्री भंवरलाल गोदारा वर्ष 29 वर्ष (निर्माता / होलसेलर) मो. न. 95495114541 निवासी :– ताज नगर, गंगाडी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

उपस्थिति

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–:आदेश :– दिनांक :– 13.06.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.02.2024 को 06:30PM प्रवीण चौधरी बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिग जगदम्बा किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर, चाडी चौराहा, औसियां जिला – जोधपुर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया। इस समय दुकान पर विक्रेता की हैसियत से अचलाराम पुत्र श्री लादूराम उम्र 40 वर्ष उपस्थित मिले एवं आम जनता को मिर्च पाउडर शान्ति मसाले आदि विक्रय कर रहे थे। विक्रेता से वर्ष 2024 का खाद्य अनुज्ञा–पत्र मांगा, इन्होने एफएसएसआई अनु0 2222074000468 एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। दुकान का निरीक्षण करने पर मिर्च पाउडर शान्ति मसाले करीबन 05 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट / अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत जांच कराने के लिए रूबरू गवाह श्री रमेश चौधरी पुत्र जबराराम उम्र 21 वर्ष जाति जाट निवासी बम्बोर, जिला जोधपुर मो.नं. 8890819079 के सामने विक्रेता को प्रपत्र एवं 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता / मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 500 /– नगद देकर मिर्च पाउडर शान्ति मसाले 2 किग्रा वास्ते जाचं नमूनीकरण हेतु खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त मिर्च पाउडर शांन्ति मसाले हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम–4075 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–4075 हस्ताक्षर युक्त डॉ. जितेन्द्र पुरोहित, तत्कालिन अभिहित अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:31 IST
Reason: SelfAttested

लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रॉस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये, गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया। मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम–4075 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की, असल मौका फर्द सलंग्न है।

कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 20.02.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है।

एम–4075 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 19.02.2024 एंव चतुर्थ भाग दिनांक 19.02.2024 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 464–465 दिनांक 11.03.2024 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस./243/एक्ट/2024/289 दिनांक 04.03.2024 अचलाराम पुत्र लादुराम उम्र 40 वर्ष (एफबीओ) को जरिये फर्म–मैसर्स– जगदम्बा किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर, चाडी चौराहा, औसियां जिला – जोधपुर को प्रेषित करते हुए एक मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई, जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर शान्ति मसाले का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर (SubStandard/Does not conform) का होना पाया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को नोटिस विधिवत् तामिल हुआ। अप्रार्थी दिनांक 03.06.2024 को न्यायालय में उपस्थित हुआ। अप्रार्थी की मौखिक बहस दिनांक 03.06.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 13.06.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी के दुकान से मिर्च पाउडर शान्ति मसाले का सैम्पल लिया गया जो अमानक स्तर (Sub Standard) होना पाया गया जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में अप्रार्थी पर अधिकतम से अधिकतम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी ने बहस में बतलाया कि वह खुदरा विक्रेता हैं उसके द्वारा उक्त मिर्च पाउडर शांन्ति मसाले खरीद कर बिना मिलावट के बेचा जाता हैं। अन्त में कम से कम जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का अध्ययन किया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी अचलाराम पुत्र लादुराम उम्र 40 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:31 IST
Reason: SelfAttested

(एफबीओ/मालिक) निवासी पुरखपुरा, बम्बोर दरजियान, जिला जोधपुर, फर्म–मैसर्स जगदम्बा किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर, चाडी चौराहा, औसियां जिला – जोधपुर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु मिर्च पाउडर शांन्ति मसाले का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल जांच रिपोर्ट के अनुसार **Test of Starch Negative** की जगह **Positive** आने के कारण उक्त नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अमानक स्तर का होना पाया गया। जो एफ.एस.एस. एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन किया जो धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

अप्रार्थीगण अचलाराम पुत्र लादुराम व उदाराम पुत्र भंवरलाल गोदारा पर शास्ती रूपये 5,000/– अक्षरे रूपये पाँच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम/जोधपुर(ग्रामीण)/2024/ दिनांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. अचलाराम राम पुत्र लादुराम उम्र 40 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म–मैसर्स जगदम्बा किराणा एण्ड प्रोविजन स्टोर, चाडी चौराहा, ओसियां जिला जोधपुर
4. उदाराम गोदारा पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 29 वर्ष (निर्माता/होलसेलर) निवासी ताज नगर गंगाडी तहसील तिवरी जिला जोधपुर, फर्म – मैसर्स सौरभ ट्रेडिंग कम्पनी, 136 घेवरा रोड, तिंवरी, तहसील औसियां जिला जोधपुर

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.07.22 16:44:31 IST
Reason: SelfAttested